सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 90/2014

पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश चौधरी आर0ए0एस0

मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी चांग चितार रोड, ब्यावर स्थाई नाबालिग बजरिये नेक्सट फ्रेण्ड श्री कैलाशचन्द जी सोगानी उम्र करीबन 88 साल सुपुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी सोगानी जाति जैन निवासी 2/35 चम्पानगर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

———प्रार्थी

ब ना म

1– श्री शांतिलाल गदिया उम्र करीबन 75 साल पुत्र श्री राजमल जी गदिया जाति जैन निवासी भाांति निकेतन नवरंग नगर, ब्यावर तहसील ब्यावर

2– श्री सुमन दगडा उम्र करीबन 56 साल पुत्र श्री कमलकुमार जी दगडा जैन निवासी ''वसुंधरा'' कुमावत होटल के सामने फतेहपुरिया चौपड, ब्यावर

3– श्री सुशीलकुमार बडज्यात्या उम्र करीबन 58 साल पुत्र श्री ताराचन्द जी जाति जैन निवासी गर्ल्स स्कूल के पास डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर

4– श्री धर्मचन्द रांवका उम्र करीबन 60 साल पुत्र स्व. अमरचन्द जी रावंका जाति जैन निवासी रविदत्त आर्यनगर देलवाडा रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर

5– श्री गुरूवचनसिंह पंजाबी उर्फ गुरूवचनसिंह उम्र करीबन 55 साल पुत्र श्री हवेलीराम जाति पंजाबी निवासी चांगचितार रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर

6– श्री प्रीतमसिंह दुआ उम्र करीबन 50 साल पुत्र श्री जोधराज जाति पंजाबी निवासी चांगचितार रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर

7– श्री बालकिशन अरोडा उम्र करीबन 55 साल पुत्र श्री गोरधनदास जाति खत्री निवासी मार्फत गोरधनदास मिश्रीलाल तम्बाकू फेक्ट्री सेन्दडा रोड, ब्यावर

8– लोकन्यास श्री दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर जिला–अजमेर एक पंजीकृत संस्था जरिये इसके अध्यक्ष सरावगी मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर

9– राजस्थान सरकार बजरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर

10– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर

11– श्रीमान् सबरजिस्ट्रार महोदय, ब्यावर

12– अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावर जरिये इसके अधीक्षण अभियन्ता

13– नगरपरिषद, ब्यावर जरिये आयुक्त महोदय

———अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 22-10-18

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि मौजा फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 1102 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2, 1103 रकबा 01–14–00 किस्म चाही–2, 1104 रकबा 00–13–00 किस्म चाही–1, 1106 रकबा 00–04–10 किस्म गै.मु.चाह, 1107 रकबा 07–00–00 किस्म चाही–2 व खसरा नंबर 1107/1146 रकबा 00–16–00 किस्म चाही–1 कुल रकबा 11–12–10 स्थित है। वादग्रस्त भूमियां पूर्व सेटलमेंट 1350 फसली तदनुसार सन् 1940–41 से ही मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी नयानगर के नाम से खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। और मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी जो एक परप्रीचुउल माईनर है और वादग्रस्त भूमियो के खातेदार काश्तकार व काबिज चले आ रहे है। जो मंदिर मूर्ति श्री दिगम्बर जैन मंदिर पारसनाथ जी ब्यावर में विराजमान है। उपरोक्त वर्णित भूमि पूर्व में अवेध रूप से राजस्व भू–अभिलेखो में श्री अणदा, मांगीलाल व मोतीलाल के नाम अंकित कर दी गई

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर ब्यावर जिला–अजमेर
राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 90/2014
पीठासीन अधिकारीः– श्री सुरेश चौधरी आर0ए0एस0

मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी चांग चितार रोड, ब्यावर स्थाई नाबालिग बजरिये नेक्सट फ्रेण्ड श्री कैलाशचन्द जी सोगानी उम्र करीबन 88 साल सुपुत्र स्व. श्री भंवरलाल जी सोगानी जाति जैन निवासी 2/35 चम्पानगर, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर राज0

————प्रार्थी

ब ना म

1– श्री शांतिलाल गदिया उम्र करीबन 75 साल पुत्र श्री राजमल जी गदिया जाति जैन निवासी भाांति निकेतन नवरंग नगर, ब्यावर तहसील ब्यावर
2– श्री सुमन दगडा उम्र करीबन 56 साल पुत्र श्री कमलकुमार जी दगडा जैन निवासी ''वसुंधरा'' कुमावत होटल के सामने फतेहपुरिया चौपड, ब्यावर
3– श्री सुशीलकुमार बडज्यात्या उम्र करीबन 58 साल पुत्र श्री ताराचन्द जी जाति जैन निवासी गर्ल्स स्कूल के पास डिग्गी मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर
4– श्री धर्मचन्द रांवका उम्र करीबन 60 साल पुत्र स्व. अमरचन्द जी रावंका जाति जैन निवासी रविदत्त आर्यनगर देलवाडा रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
5– श्री गुरूवचनसिंह पंजाबी उर्फ गुरूवचनसिंह उम्र करीबन 55 साल पुत्र श्री हवेलीराम जाति पंजाबी निवासी चांगचितार रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
6– श्री प्रीतमसिंह दुआ उम्र करीबन 50 साल पुत्र श्री जोधराज जाति पंजाबी निवासी चांगचितार रोड, ब्यावर तहसील ब्यावर
7– श्री बालकिशन अरोडा उम्र करीबन 55 साल पुत्र श्री गोरधनदास जाति खत्री निवासी मार्फत गोरधनदास मिश्रीलाल तम्बाकू फेक्ट्री सेन्दडा रोड, ब्यावर
8– लोकन्यास श्री दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर जिला–अजमेर एक पंजीकृत संस्था जरिये इसके अध्यक्ष सरावगी मौहल्ला, ब्यावर तहसील ब्यावर
9– राजस्थान सरकार बजरिये जिलाधीश महोदय, अजमेर
10– राजस्थान सरकार बजरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार महोदय, ब्यावर
11– श्रीमान् सबरजिस्ट्रार महोदय, ब्यावर
12– अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ब्यावर जरिये इसके अधीक्षण अभियन्ता
13– नगरपरिषद, ब्यावर जरिये आयुक्त महोदय

————अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किये हैं कि मौजा फतेहपुरिया दोयम तहसील ब्यावर में खसरा नंबर 1102 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2, 1103 रकबा 01–14–00 किस्म चाही–2, 1104 रकबा 00–13–00 किस्म चाही–1, 1106 रकबा 00–04–10 किस्म गै.मु.चाह, 1107 रकबा 07–00–00 किस्म चाही–2 व खसरा नंबर 1107/1146 रकबा 00–16–00 किस्म चाही–1 कुल रकबा 11–12–10 स्थित है। वादग्रस्त भूमियां पूर्व सेटलमेंट 1350 फसली तदनुसार सन् 1940–41 से ही मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी नयानगर के नाम से खातेदारी व कब्जे में चली आ रही है। और मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी जो एक परप्रीचुउल माईनर है और वादग्रस्त भूमियो के खातेदार काश्तकार व काबिज चले आ रहे है। जो मंदिर मूर्ति श्री दिगम्बर जैन मंदिर पारसनाथ जी ब्यावर में विराजमान है। उपरोक्त वर्णित भूमि पूर्व में अवेध रूप से राजस्व भू–अभिलेखो में श्री अणदा, मांगीलाल व मोतीलाल के नाम अंकित कर दी गई

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

थी। उक्त अवेध इन्द्राजात को निरस्त किये जाने हेतू अतिरिक्त जिला कलेक्टर, अजमेर ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने आदेश दिनांक 4.2.1980 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान को रेफरेंस प्रेषित किया जिस रेफरेंस संख्या 8/80/एल.आर./अजमेर उनवानी राज्य सरकार बनाम मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान ने दिनांक 02.04.1988 के अपने निर्णय द्वारा स्वीकार कर उपरोक्त वर्णित भूमि मूर्ति मंदिर श्री पारसनाथ जी (श्री पार्श्वनाथ जी) की खातेदारी में दर्ज किये जाने का निर्णय पारीत किया जिसकी कियान्विति में राजस्व भू–अभिलेखो में प्रार्थी मूर्ति मंदिर श्री पारसनाथ जी (पार्श्वनाथ जी) का नाम खातेदार कृषक के रूप में अंकित किया गया। मूर्ति मंदिर श्री पारसनाथ जी की खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि की व्यवस्था एक पंजीकृत संस्था "श्री दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर " द्वारा किया जाता है। श्री दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के समक्ष पंजीकृत संस्था है जिसके कर्तव्य एंव अधिकार अन्य कार्यो के अलावा प्रार्थी मूर्ति श्री 1008 श्री पारसनाथ जी(पार्श्वनाथ जी) विराजमान श्री दिगम्बर जैन मंदिर श्री पारसनाथ जी की व्यवस्था करने व उसकी खातेदारी की उपरोक्त वर्णित भूमि की रक्षा करने का भी है। उक्त भूमियो के विषय में अप्रार्थी संख्या 8 दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर ने उक्त भूमियो की जमाबंदी में जरिये दाखिल खारीज संख्या 1558 दिनांक 13.11.2006 में गलत व गैर कानूनी रूप से जरिये व्यवस्थापक अध्यक्ष दिगम्बर जैन पंचायत, ब्यावर का नाम मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी सा नयानगर के आगे अंकित करवा दिया गया है। उसमें भी अप्रार्थी संख्या 8 की हैसियत केवलमात्र व्यवस्थापक के है न कि मालिक अथवा खातेदार के इसलिये अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 और अप्रार्थी संख्या 8 व उनके पदाधिकारीगण व अन्य किसी भी व्यक्ति को वादग्रस्त भूमियो को अपनी स्वामित्व की भूमि मानकर सामान्तर कार्यवाही करते हुये किसी भी प्रकार से हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 की शुरू से ही बदनियती उक्त मंदिर मूर्ति पारसनाथ जी भास्वत नाबालिग की उक्त जमीनो को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से खुर्द बुर्द कर हडप करने की हो गई थी। इसलिये उन्होने इस कम में उक्त भूमियो को विकय करने हेतू उपशासन सचिव देवस्थान विभाग के आयुक्त से दिनांक 13.10.2003 के द्वारा अप्रार्थी संख्या 8 के हक में धारा 79 राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के तहत लीज अथवा हस्तांतरण करने की बिना प्रार्थीगण की जानकारी के गलत व गैर कानूनी रूप से अनुमति प्राप्त कर ली। किन्तु बाद में उक्त आयुक्त ने अपने निर्णय दिनांक 12.1.2005 के द्वारा वादग्रस्त भूमियो को ट्रस्ट सम्पत्ति नही मानकर मूर्ति मंदिर पारसनाथ जी की सम्पत्तियां होना मानकर पूर्व में दी गई अनुमति के आदेश को निरस्त कर दिया। अप्रार्थी संख्या 8 के तत्कालिन अध्यक्ष स्व. ताराचन्द जी बडज्यात्या ने वादग्रस्त भूमियों के पूर्वी भाग की 3.6478 बीघा यानि 7061 वर्गगज भूमि 29 वर्ष के लिये अप्रार्थी संख्या 5, 6 व 7 से मिली भगती कर उनके प्रत्येक के हक में 1.2159 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में गलत व गैर कानूनी रूप से दिनांक 15.12.2003 को बिना किसी अधिकार के चुपचाप कब्जा कृषि प्रयोजनार्थ लीज बताकर गलत व गैर कानूनी रूप से अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का करवा दिया। और बदनियती व बेईमानी से इस हेतू प्रार्थना पत्र दिनांक 5.12.2007 को तहसीलदार, ब्यावर को पेश कर कृषि फसल एंव बगीचे की सुरक्षा हेतू दीवार निर्माण करने की अनुमति देने बाबत पेश कर दीवार बनाने की अनुमति दिनांक 7.12.2007 को हांसिल

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

कर ली। उक्त दीवार बनाने की अनुमति की आड में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 ने मिली भगती कर उक्त लीज पर दी गई जमीन के तीन टुकडो में विभक्त कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 8 और अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 किसी भी प्रकार से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार उक्त भूमियो को अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में लीज अथवा किराये पर अथवा अन्य प्रकार से व किसी भी हस्तांतरण के द्वारा कानूनन दे ही नही सकते थे अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 काश्तकार वृति के नही है, बल्कि व्यापारी है, और उनको उक्त तथाकथित लीज कृषि प्रयोजनार्थ नही दी जाकर गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपभोग कराने के कारण से उक्त कार्यवाही अवेध व प्रभावशून्य है। उक्त तथाकथित लीज व तथाकथित किराये पर कानूनन कृषि प्रयोजनार्थ 5 साल से अधिक की अवधि के लिये दी भी नही जा सकती थी इसलिये उक्त तथाकथित लीज अथवा तथाकथित किरायेदारी अवेध, अनाधिकृत व प्रभावशून्य है। और उससे अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में कोई हक व अधिकार संबंध व सरोकार, स्वत्व व मालिकाना निहित नही हुये है। अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 ने उक्त वादग्रस्त भूमियो में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 की जानकारी में कभी कोई कृषि प्रयोजनार्थ कार्य नही किया बल्कि अप्रार्थी गुरूवचनसिंह ने उक्त कृषि भूमियो में अपनी प्राईवेट स्कूल चलाने के लिये कमरे आदि का कार्य सन् 2008 से शुरू कर दिया और निर्माण कार्य करवाकर उसे अजनाम "बचपन स्कूल" के नाम से व्यवसायिक प्रयोजनार्थ संचालित सन् 2009 से कर रहा है। तथा शेष भाग में एच0एस0 पैलेस के नाम से विवाह स्थल के रूप में संचालित कर उसका व्यवसायिक उपयोग कर नाजायज फायदा प्राप्त कर रहा है। और इस हेतू उसने बहुत सारे कमरे, हॉल, लेट्रिन, बाथरूम एंव भोजनशाला आदि बनाकर विवाह स्थल के रूप में ग्राहको को गैर कानूनी रूप से किराये पर देकर नाजायज लाभ प्राप्त कर रहा है। क्योकि उसने उक्त कार्य हेतू अप्रार्थी बालकिशन अरोडा का हिस्सा गुप्त रूप से उसके उक्त हिस्से की जमीन गलत व गैर कानूनी रूप से प्राप्त कर ली है, और बालकिशन ने उसका कब्जा अप्रार्थी गुरूवचनसिंह को हस्तांतरित/पार्टवीथ कर रखा है। इसी प्रकार से अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने अपने उक्त तथाकथित लीज वाले उक्त वादग्रस्त भूमि के भू भाग में चांगचितार रोड की तरफ से अपने मकान तक अवेध सडक (रास्ता) निकाल कर वादग्रस्त भूमियो के उस भाग पर अवेध रूप से राम भवन का नाम प्रदान कर दिया है। और उस भाग की तरफ अपने मकान के गलत गैर कानूनी एंव अनाधिकृत रूप से दरवाजे खिडकीयां, बॉलकानी आदि सन् 2010 में स्थापित कर लिये है, और उधर से अपना नाजायज आना जाना कर उक्त भूमि का गैरकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग कर रहा है, जो कार्यवाही सर्वथा वादग्रस्त भूमियो के विषय में अवेध व प्रभावशून्य है। उपरोक्त कृषि भूमियो पर उपरोक्त वर्णित कराये गये अवेध निर्माण के लिये भी नगरपरिषद, ब्यावर से न तो कोई लैण्ड यूजचेंज करवाया गया है, और न करवाया जा सकता है। और न कोई निर्माण स्वीकृति हांसिल की है, न कन्वर्जन करवाया है। तथा विवाह स्थल व स्कूल संचालन करने के लिये भी सक्षम अधिकारीयो से कोई पंजीकरण भी नही करवाया गया है, और न कोई ऐसी सक्षम अधिकारीयो से अनुमति प्राप्त की है। और ऐसी अनुमति प्राप्त की जा सकी है न पंजीकरण करवाया जा सकता है और न उसका कोई चार्जेज जमा करवाया गया है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की मिलीभगती के परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 ने अपने आपको किरायेदार अथवा लीज होल्डर बताकर बिजली कनेक्शन सन् 2010 में हासिल कर

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

लिया जबकि वे इस कृषि भूमि पर उक्त बिजली कनेक्शन का उपयोग कृषि भूमि में कृशि प्रयोजनार्थ कार्य नही कर व्यवसायिक प्रयोजनार्थ बिजली का उपयोग कर उक्त बिजली कनेक्शन का भी दुरउपयोग कर रहे है, और अप्रार्थीगण संख्या 12 भी उनको उक्त गैर कानूनी कार्यवाही करने से नही रोक कर अपरोक्ष रूप से उनकी मदद कर रहा है। जो कार्यवाही अवेध व प्रभावशून्य ही नही बल्कि दण्डनीय अपराध की तारीफ में आती है। तथाकथित उपरोक्त भूमियां जो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 ने अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 के हक में कृशि प्रयोजनार्थ लीज पर देने का झांसा देकर अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का नाजायज कब्जा करवा दिया जबकि आज तक किसी भी प्रकार की कोई लीजडीड लिखित में अथवा मौखिक रूप से नही बताई गई है, न प्रोपर स्टाम्प पर लिखी गई है, और न उसका पंजीकरण करवाया गया है। इस प्रकार से उपरोक्त समस्त कार्यवाहीयां अनाधिकृत अवेध व प्रभावशून्य है। और प्रार्थी संख्या 1 मंदिर मूर्ति के हितो के विरूद्ध है और प्रार्थी ऐसी अवेध कार्यवाही से बाध्य नही है। अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 ने अप्रार्थी संख्या 8 को गलत व गैर कानूनी रूप से अपनी एक जेबी संस्था बना रखी है, जिसके तहत अप्रार्थी शांतिलाल सन् 2005 से 2009 तक अध्यक्ष रहे और अप्रार्थी मंत्री सुमन जी दगडा रहे और उसके बाद में अप्रार्थी संख्या 3 व 4 क्रमशः अध्यक्ष व मंत्री चले आते रहे और अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 एंव 8 ने अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 से मिली भगती कर उपरोक्त अवेध अनाधिकृत कार्यवाहीयां होने दी और अपने स्वंय के हितार्थ मुर्कदर्शक बने रहे और कारतामिरात होने दिया जो कारतामिरात सन् 2008 से शुरू कर दिया था। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 से उक्त कार्य को रूकवाने के लिये कहां तो वे अनसुनी करते रहे तब अप्रार्थीगण ने चुनाव की मांग की और मिटिंगे बुलाने के लिये कहां तो इन्कार कर दिया तब प्रार्थी ने उच्चअधिकारीयो के यहां तथा सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, अजमेर के यहां दिनांक 4.5.2009 को शिकायत की किन्तु न्यायालय सहायक आयुक्त अजमेर ने दिनांक 14.5.2010 को खारीज कर दी। तथा न्यायालय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर केंप जयपुर के यहां अपील संख्या 66/2010 प्रस्तुत की गई उसका निर्णय दिनांक 13.12.2010 को हुआ। और कार्यवाही माननीय न्यायालय सेशन एंव जिला जज साहब अजमेर के यहां धारा 40 राजस्थान लोक न्यास अधिनियम के तहत पीटीशन पेश की गई किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 ने दिनांक 15.8.2014 को व्यंग्यात्मक भाशा में प्रार्थी को कहां कि उक्त कार्यवाही में निर्णय होने में काफी समय लग जायेगा तब तक हम इस जमीन का गैर कृशी प्रयोजनार्थ उपयोग करते रहेंगे और लाभ उठाते रहेंगे। और दीगर भूमियो पर भी कई अन्य लोगो को नाजायज कब्जा करवा देंगे। प्रार्थी कानून के जानकार नही है, और प्रार्थी शास्वत नाबालिग है, जिसके कारण से वे सदभाविक रूप से उक्त कार्यवाहीयो में लगे रहे इस कारण से यह दावा अन्दर मियाद है, और प्रार्थी की और से किसी भी समय कोई भी व्यक्ति उसके हित में दावा कर सकता है। और प्रार्थी उक्त मुकदमो में पक्षकार भी नही है। इसलिये उक्त निर्णय प्रार्थी पर बंधनकारी भी नही है। प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 को काफी समझाया कि वादग्रस्त भूमियो पर से अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 का कब्जा हटावाया जावे और वादग्रस्त भूमियो को पूर्वतः कृषि प्रयोजनार्थ प्रयोग होने देवे और नाबालिग प्रार्थी की भूमि की सुरक्षा बनी रहे किन्तु अप्रार्थीगण संख्या 1 से 8 दिनांक 25.8.2014 को इन्कार हो गये और उल्टा

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

प्रार्थीगण को धमकी दी, कि तुम से जो होवे सो कर लो कब्जा नही छोडा जायेगा और ऐसे ही दीगर लोगो का नाजायज कब्जा करवा कर उसे बर्बाद करके रहेंगे इसलिये इस प्रार्थना की आवश्यकता हुई है। प्रार्थी के हक में उपरोक्त तथ्यो को देखते हुये प्रथम दृष्टिया केस बनता है, और सहुलियत का सन्तुलन भी बनता है, तथा अपूर्णीय क्षति भी प्रार्थी को कारीत हो रही है। तथा उक्त तथ्यो का दावा प्रस्तुत किया है जो काफी ठोस तथ्यो पर आधारित है जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण के हक में तथा अप्रार्थीगण के विरूद्ध दौरान वाद अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण स्वंय तथा जरिये, उनके नोकर, चाकर, दोस्त, हाली, ऐजेन्ट, परिवारजन, रिश्तेदार, मुख्तियार आदि वादग्रस्त कृषि भूमियो के किसी भी भाग को रहन, बय बेचान व अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नही करे और किसी भी प्रकार से लीज पर अथवा लाईसेंस पर नही देवे और किसी प्रकार पर किराये अथवा दर किरायेदारी पर नही देवे। तथा किसी भी प्रकार से वादग्रस्त आराजियात के किसी भी भाग का किसी भी प्रकार से असाईनमेंट पार्टविथ पजेशन व अन्य प्रकार से कब्जा हस्तांतरण करने की कार्यवाही नही करे तथा वादग्रस्त भूमियो में स्कूल संचालन, विवाह स्थल संचालन एंव किसी प्रकार के कॉमर्शियल, आवासीय अथवा गैर कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग नही करे न करने देवे न जारी रखे। तथा अप्रार्थीगण संख्या 9 लगायत 11 एंव 13 को पांबद किया जावे कि वे वादग्रस्त भूमियो के विषय में ऐसे किसी भी हस्तांतरण, विलेख अथवा इकरारनामा विलेख के विषय में पंजीकरण संबंधी कार्यवाही नही करें। तथा वादग्रस्त भूमियो पर की जाने वाली किसी भी व्यवसायिक व आवासीय कार्यवाहीयो को नही होने दे न अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 व अन्य द्धारा जारी रखने दे। तथा अप्रार्थी संख्या 12 को पांबद किया जावे कि वादग्रस्त कृषि भूमियो में कॉमर्शियल व आवासीय प्रयोजनार्थ विद्युत सप्लाई नही करे और उस हेतू विद्युत कनेक्शन को प्रभावशील नही करे। तथा ऐसे विद्युत कनेक्शन को तुरन्त प्रभाव से विच्छेद करने के लिये भी पांबद किया जावे। तथा अप्रार्थी संख्या 13 अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 को कारतामिरात की इजाजत नही देवे न उसे रेगूलराइज करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 5 से 7 व 12 बावजूद तामील नोटिस के उपस्थित नही होने पर उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 8 प्रार्थी के द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को नकारते हुये जवाब पेश कर कथन किया है, कि प्रार्थी तथा समाज के कुछ अन्य व्यक्तियो ने देवस्थान विभाग, उदयपुर में शिकायत की थी पक्षकारान को सुनने के पश्चात देवस्थान विभाग अजमेर ने निरस्त कर दी थी जिसकी अपील शिकायतकर्ताओ ने जिसमें प्रार्थी भी शामील है, ने श्रीमान् आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग उदयपुर केंप जयपुर के यहां पेश की थी जिसे दिनांक 13.12.2010 को निर्णित करके उक्त शिकायत को माननीय जिला एंव सत्र न्यायाधीश महोदय अजमेर के यहां लोकन्यास अधिनियम 1940 क अन्तर्गत जांच करने के लिये भिजवा दी। जिसकी अपील माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में हुई जिसमें माना कि शिकायतकर्ता को आगे कार्यवाही करने का कोई अधिकार नही रहा अतः उन्होने उक्त शिकायत का निस्तारण करने हेतू प्रार्थना पत्र जिला एंव सेशन न्यायाधीश अजमेर में प्रस्तुत करे जो प्रकरण अभी अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3, अजमेर के यहां विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र व मौजुदा वाद

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

के कथन बिल्कुल एक से है और मामला अभी माननीय अपर जिला न्यायाधीश संख्या 3 अजमेर के यहां सबज्यूडिस है। एक ही मामले की सुनवाई दो न्यायालयो में समानान्तर रूप से कानूनन नही चल सकती है अतः मौजूदा प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है। दिगम्बर जैन पंचायत तथा उसके तत्कालीन पदाधिकारीयो ने अपने कर्तव्यो को पूर्ण रूप से निभाते उनका पालन किया वादग्रस्त भूमियो जो कि नाजायज रूप से मालियो के कब्जे में भी उसे उनके नाजायज कब्जा से प्राप्त करके उसे मूर्ति मंदिर पारसनाथ के कब्जे में दिलाई है। लगभग 100 सालो से उक्त भूमि की मालिक मंदिर मूर्ति पारसनाथ बनी तबसे ही उक्त भूमि की देखरेख तमाम प्रबंध जरिये व्यवास्थापक अध्यक्ष दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर द्वारा ही किया जाता रहा है। जमाबंदी में जो इन्द्राज जरिये व्यवस्थापक अध्यक्षक दिगम्बर जैन पंचायत का नाम अंकित करवाया गया है, वह बिल्कुल सही एंव विधिक प्रावधानो के अन्तर्गत ही करवाया गया है। व्यवस्थापक को हालांकि वादग्रस्त भूमि को हस्तांतरित करने का अधिकार नही है। आज भी उक्त भूमि पंचायत की ही है। लेकिन मंदिर मूर्ति पारसनाथ की भूमियो को मालियो से वापस कब्जे में लेने के लिये बहुत बडी रकम की व्यय की तथा मंदिर मूर्ति पारसनाथ की भूमियों की व्यवस्था करने तथा उसका तमाम खर्चा आदि वहन करने के लिये साधन जुटाना आवश्यक था व है। चूंकि पंचायत के पास फण्ड नही था अतः मंदिर मूर्ति पारसनाथ की उक्त व्यवस्था करने तथा रोजाना के खर्चे की व्यवस्था करने हेतू उक्त भूमि को लीज पर देकर व्यवस्था करना आवश्यक था। उक्त व्यवस्था भी देवस्थान विभाग की सिफारिश पर राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के पश्चात की गई है। किसी भी अप्रार्थी की कभी भी मूर्ति मंदिर पारसनाथ के खिलाफ कभी कोई बदनियती नही रही तथा उनकी नियत कभी भी वादग्रस्त भूमि अथवा उसके किसी भी भाग को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से खुर्द बुर्दकरने की नही रही उपशासन सचिव देवस्थान विभाग वे आयुक्त से अप्रार्थी नंबर 8 द्वारा जो वादग्रस्त भूमि को लीज पर देने की इजाजत मांगी थी वह मूति मंदिर पारसनाथ के हित में था। वादग्रस्त भूमि का कुछ अंश ही लीज पर दिया गया उक्त स्वीकृति दिनांक 13.10.2003 को दी गई दिनांक 12.1.2005 के आदेश द्वारा श्रीमान् आयुक्त महोदय देवस्थान विभाग ने उक्त आदेश दिनांक 13.10.2003 को निरस्त कर दिया जिसके द्वारा दिनांक 11.2.2005 को जो आदेश कार्यालय सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर द्वारा जारी किया गया था उसके द्वारा सिर्फ उक्त भूमि को बेचान करने के लिये मना किया गया। तथा कुछ अंश लीज पर दिया गया था उसके कभी निरस्त नही किया गया। मूर्ति मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिये तथा रोजमर्रा आदि का खर्चा चलाने तथा भूमि का वापीस कब्जा प्राप्त करने के लिये अप्रार्थी संख्या 5 से 7 को अस्थाई रूप से सिर्फ लीज पर दिया था जो कि मंदिर मूर्ति के हित में था जिसमें अप्रार्थी संख्या 8 के तत्कालीन अध्यक्ष ताराचन्द बडजात्या का ना तो कोई हित या स्वार्थ था न ा ही स्वंय का निजी रूप से कोई संबंध था। उक्त कार्य चुपाचाप नही किया गया तथा उक्त कार्य पंचायत के सभी सदस्यो मय प्रार्थी की पूर्ण जानकार में तथा उनकी स्वीकृति के पश्चात ही किया गया जिसे पंचायत का कोई भी सदस्य किसी भी प्रकार से कानूनन चेलेंज नही कर सकता है। भूमि की रक्षा करने तथा उसे पशुओ व अतिक्रमण से बचाने के लिये तथा उक्त भूमि को पूर्ण रूप से व्यवस्थित रखने के लिये ही दीवार बनाने की अनुमति प्राप्त की गई उक्त दीवार बनाने से मूर्ति मंदिर का कोई भी अहित नही हुआ है। बल्कि उक्त दीवार मंदिर मूर्ति के हितो की रक्षा के लिये निर्माण करवाया गया।

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उक्त लीज 29 वर्ष के लिये दी गई है, अप्रार्थी संख्या 5 से 7 को विवादित भूमि में कोई मालिकाना हक प्राप्त नही हुये मालिकाना हक व तमाम अधिकार मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ में ही कायम रहे जो आज भी कायम है। राजस्व विभाग में उक्त भूमि मंदिर मूर्ति पारसनाथ के नाम से ही रेकार्ड में दर्ज है अप्रार्थी संख्या 5 से 7 ने पंचायत की जानकारी में तथा अध्यक्ष व पदाधिकारीयो की जानकारी में कोई निर्माण कार्य शुरू नही किया ना ही पंचायत अथवा उसके किसी अधिकारी ने अप्रार्थी संख्या 5 से 7 का किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण करने की स्वीकृति दी। अप्रार्थी गुरूबच्चनसिंह ने जो प्राइवेट स्कुल चलाने के लिये कमरे आदि का निर्माण किया हैउसकी शिकायत नगरपरिषद, ब्यावर जिलाधीश अजमेर व लोकायुक्त महोदय जयपुर आदि को तुरन्त प्रभाव से कर दी गई जिसकी जाकनारी प्रार्थी को भंलीभाति है। यदि उक्त शिकायतो पर अधिकारीयो ने कोई कार्यवाही नही की तो उसके लिये पंचायत अथवा उसका कोई पदाधिकारी जिम्मेदार नही है। जो स्थाई निर्माण किया गया है उसको हटाने के लिये पंचायत एंव उसके पदाधिकारीयो का जो सहयोग आवश्यक हो उसके लिये वे हमेशा तैयार थे और आज भी है। अप्रार्थी संख्या 8 अथवा किसी भी सदस्य अथवा पदाधिकारी ने कोई निर्माण, रिहायशी, वाणिज्यिक संबंधी अथवा कोई भी बिजली कनेक्शन लेने के लिये कोई स्वीकृति नही दी है। लीज का पंजीकरण कानूनी रूकावट की वजह से नही हो सका। उक्त कानूनी रूकावट की जानकारी अप्रार्थी संख्या 8 अथवा उसके पदाधिकारीयो को नही थी। अप्रार्थी नंबर 8 के विधान के अनुसार कार्य किया तथा पंचायत के सदस्यो की सर्वसम्मति से ही पंचायत के हित में जो भी आवश्यक कार्य थे वे किये तथा पंचायत का कभी कोई अहित नही किया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 व 8 कभी भी मूकदर्शक नही रहे और ना ही उन्होने अप्रार्थी संख्या 5 से 7 की किसी भी कार्यवाही में उनका कोई सहयोग किया। प्रार्थी ने कभी भी अप्रार्थी संख्या 1 से 4 से सम्पर्क नही किया और ना कोई बोलचाल है क्योकि प्रार्थी का पिछले कई सालो से कोई संपर्क नही । प्रार्थी के पक्ष में कोई प्रथम दृष्टिया केस प्रमाणित नही होता है, और ना ही सहुलियत का संतुलन ही प्रार्थी के पक्ष में है। राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कानूनन माननीय न्यायालय द्वारा नही की जा सकती है, माननीय न्यायालय को इसका कोई अधिकार क्षैत्र नही है। उक्त निर्णय के खिलाफ आज तक भी किसी भी व्यक्ति ने आगे कोई अपीलीय न्यायालय या उच्च न्यायालय में कभी कोई अपील या कोई कार्यवाही नही की है ना ही उसे किसी भी प्रकार से चेलेंज ही किया है। यदि माननीय न्यायालय ने कोई गलत निर्णय दिया है, तो उसके खिलाफ अपीलीय न्यायालय या माननीय राज0 उच्च न्यायालय में ही कानूनी कार्यवाही करने के लिये प्रार्थी स्वंय था तथा अधिकार था जिसका कोई उपयोग नही किया गया। मौजूदा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का वाद मित्र बनने के लिये अयोग्य है तथाकानूनन वह किसी भी अवस्था में प्रार्थी मंदिर का वाद मित्र नही हो सकता है। वाद मित्र वही व्यक्ति हो सकता है, जिसके हित मंदिर के हित में है जबकि प्रार्थी ने सभी का अहित ही किया है। प्रार्थी ने अलग अलग न्यायिक विभागो में जनहित याचिका कभी सदस्य, दिगम्बर जैन पंचायत के नाम से भी प्रस्तुत की है जबकि श्री दिगम्बर जैन पंचायत ने कभी इनको यह अधिकार प्रदान नही किया हैद्व अतः यह प्रार्थना पत्र व वाद जो नेक्सट फ्रेण्ड बताकर प्रस्तुत किया है वह प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य है। वादग्रस्त भूमि अवेध रूप से राजस्व भू अभिलेखो में अणदा, मांगीलाल व मोतीलाल के नाम अंकित कर दी गई प्रार्थी स्वंय के अनुसार उक्त इन्द्राज अवेध एंव गलत था जिसकी जानकारी प्रार्थी को

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर, ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

शुरू से ही थी कि उक्त भूमि मंदिर मूर्ति पारसनाथ की है तो प्रार्थी द्वारा उसके सहयोग से ही उक्त भूमि को विक्रय करने का अनुबंध अणदा, मांगीलाल व मोतीलाल द्वारा श्री विष्णुकमार राठी के पक्ष में चन्द कीमत जो कि नही के बराबर है में सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का इकरार अपनी मौजूदगी में तथा अपने सहयो से उक्त तीनो व्यक्तियो पर दबाव देकर करवाये तथा उक्त अवेध व्यक्तियो के खिलाफ विनिर्दिष्ट अनुपालना को दो वाद भी राठी बंधुओ से मालियो के अलावा दिगम्बर जैन पंचायत के खिलाफ भी करवाये जो न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश फास्ट ट्रेक संख्या 2, ब्यावर में लंबित थे जो कि माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिये गये जब प्रार्थी को यह स्पष्ट जानकारी थी की उक्त मूर्ति मंदिर पारसनाथ की थी तो उसको विक्रय करने में सहयोग करना तथा उक्त मुकदमे की पैरवी स्वंय करना तथा हर तारीख पेशी पर उपस्थित होना तथा उक्त मुकदमे संबंधी सभी तरह की आवश्यक कानूनी कार्यवाही प्रार्थी ने स्वंय ने की राठी बंधुओ का तो नाम मात्र था ऐसा व्यक्ति मंदिर मित्र बनने का कोई अधिकार ही नही रखता है, ना ही इसके लिये सक्षम है। मूर्ति मंदिर पारसनाथ की भूमि किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नही की जा सकती है, ना ही उसका कोई विक्रय किया जा सकता है, तो ऐसी अवस्था में उक्त भूमि मे कोई धर्मशाला अथवा अन्य कोई आवासीय व्यवस्था भी नही बनाई जा सकती है, अतः प्रार्थी उक्त भूमि को अकृषि प्रयोजन में लाने के लिये कटिबद्ध है तो ऐसा व्यक्ति वाद में वाद मित्र नही हो सकता है उसका हित मंदिर के हितो के सर्वथा विपरित है। मालीयो व विष्णुकुमार राठी आदि की और से प्रस्तुत मुकदमे 54 साल से वादग्रस्त भूमियो में विभिन्न न्यायालय एंव उच्च न्यायालय में लडाई लडने से पंचायत की काफी रकम मुकदमे में खर्च होती रही। तथा वकीलो व न्यायालय के चक्कर से व्यथित होकर पंचायत ने अपनी एक आम सभा दिनांक 21.1.2002 को आमंत्रित की तथ्ज्ञा उसमें चांग गेट की जमीन के मामले में गंभीरता से सभी पहलुओ पर विचार हुआ जिसमें 9 सदस्यो की कमेटी बनाई गई। जिसमें मालीयो से राजीनामा कर कब्जा प्राप्त किया। राजस्थान सरकार की उक्त स्वीकृति के प्राप्त होने के बाद दिनांक 15.12.2003 को पंचायत द्वारा सर्व अधिकार प्राप्त समिति ने अपनी एक मिटिंग में इस जमीन में से 3.6478 बीघा कृषि भूमि तीन हिस्सो में 01.259 बीघा क्रमशः 29 साल की लीज बोली लगाकर इक्यावन लाख रूपये में श्री प्रीतमसिंह दुआ व श्री बालमुकुन्द अरोडा व श्री गुरूबच्चनसिंह को प्रदान करने का निर्णय लिया तथा पांच लाख रूपये की रकम बतौर एडवांस प्राप्त की शर्त पर छोडी गई। कानूनी अडचन के कारण लीजडीड का पंजीकरण नही हो सका। इस कारण कब्जा देने के बाद भी इस कानूनी अडचन से लीजएग्रीमेट सम्पन्न नही हो सका। प्रार्थी के स्वंय के कथानुसार वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी संख्या 5 से 7 को लीज पर दी गई भूमि पर अकृषि प्रयोजनार्थ निर्माण कर लिये है चूंकि माननीय न्यायालय को केवलमात्र कृषि भूमियो के संबंध में विवादो की सुनवाई का क्षैत्राधिकार प्राप्त है, अकृषि प्रयोजन की भूमियो के संबंध में सुनवाई का कोई क्षैत्राधिकार नही है। प्रार्थी क्लीन हैण्ड से माननीय न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है, बल्कि सर्वथा ही गलत एंव झूंठे तथ्यो के आधार पर उत्तरकर्ता अप्रार्थी पंचायत को नाजायज आर्थिक नुकसान पहूंचाने की नियत से आया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 13 ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है, कि प्रार्थी अपने कथनो को स्वंय सिद्ध करे। तथा यह भी कथन

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

किया है, कि जब किसी भी प्रकार से किसी भी आवेदक के द्वारा कोई आवेदन ही प्राप्त नही हुआ तो किसी भी प्रकार की कोई स्वीकृति दिये जाने अथवा नही दिये जाने का प्रश्न कदापि उत्पन्न नही होता है नगरपरिषद, ब्यावर के द्वारा अतिक्रमण अथवा अवेध निर्माण इत्यादि होने पर एंव जानकारी में आने पर नियमानुार कार्यवाही की जाती है। प्रार्थी के द्वारा उत्तरकर्ता अप्रार्थी पर जो आरोप लगाये गये है, वो पूर्णतया गलत एंव मिथ्या है। उनमें किंचित मात्र भी सत्यता नही है। प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टिया केस नही बनता है, और ना ही सहुलियत का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है, और ना ही अपूर्णीय क्षति कारीत हो रही है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि विरूद्ध होने के कारण से कानूनन पोषणीन नही होने की वजह से अप्रार्थी नगरपरिषद, ब्यावर के विरूद्ध खारीज किया जावे तथा खर्चा दिलाया जावे।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 एंव 8 के द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या प्रारंभिक आपत्तियां क व ख एंव चरण संख्या 4 लगायत 23 लगायत 34 का प्रार्थी द्वारा जवाबुल जवाब प्रस्तुत किया जिसको न्यायालय द्वारा रेकार्ड पर लिया गया। जिसमें प्रार्थी ने कथन किया है, कि जवाब प्रार्थना पत्र की प्रारंभिक आपत्तिया संख्या (क) में वर्णित तथ्य गलत व असत्य है, तथा प्रारंभिक आपत्तियां (ख) में तथ्य जिस तरह से दिये गये है, उन तथ्यो में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की गलत व्याख्या की गई है, जबकि यह दावा मंदिर मूर्ति की जमीन के बाबत उक्त प्रार्थी मंदिर की तरफ से मंदिर के हितो के पक्ष में किया गया है, जो पृथक व्यक्ति ने दावा किया है, और दोनो दावो में वर्तमान दावे व जिला जज साहब के यहां किये गये दोनो में पक्षकार पृथक पृथक है, व वाद कारण व दावो में अनुतोष भी पृथक से है। और न्यायालय भी पृथक पृथक है, किन्तु कृषी भूमियो के विषय में माननीय न्यायालय ही सक्षम है, इसलिये सबज्यूडिस होने के कारण से प्रस्तुत दावा नही चलने वाली बात बिल्कुल गलत व असत्य है। यह सब तथ्य असंगत भी है, और दावे के विवाद से इनका कोई संबंध नही है, और डिलीट किये जाने योग्य है। जवाब प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 व 5 में वर्णित तथ्य जिस तरह से अंकित किये गये है, वह गलत व असत्य है। तथाकथित मालियो का कब्जा हटाया गया और मूर्ति मंदिर को कब्जा दिलाया गया जो कानून के अनुसार हुआ है, उक्त मंदिर की जमीनो की देखभाल व प्रबंधन दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर ही नही बल्कि दिगम्बर जैन समुदाय के लोगो के अलावा अन्य लोग भी मंदिर की देखभाल व मंदिर के हितो की देखभाल कर सकते है, इस मंदिर की देखभाल के मुकदमे में कितना रूपया खर्च हुआ व प्रतिदिन कितना रूपया खर्च होता है, यह नही बताया गया है, जमीन का कोई भी भाग कानूनन लीज पर हस्तातंरण नही किया जा सकता है, राजस्थान सरकार ने लीज व हस्तांतरण हेतू इजाजत नही दी बल्कि सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग ने जो पहले लीज व हस्तातंरण की इजाजत दे दी थी उसे भासन उपसचिव ने अपने आदेश दिनांक 12.1.2005 द्वारा निरस्त किया और सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग के द्वारा जो आदेश लीज व हस्तातंरण के विषय में दिनांक 13.10.2003 को दिया उसे निरस्त कर दिया। जबकि लीज पर देने का कोई आदेश नही दिया था उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 ने नाजायज लीज पर दे दी जो सर्वथा गलत व गैर कानूनी व शरारत पूर्ण व षंडयत्रकारी दण्डनीय कार्यवाही है। जबकि स्व. ताराचन्द बडजात्या एंव अप्रार्थी संख्या 8 दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर की ऐसी लीज व जमीन

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

बेचान करने के विषय में की गई किसी भी कार्यवाही में श्री कैलाशचन्द सोगानी पक्षकार नही रहे और न उनको कोई जानकारी दी गई जबकि मंदिर मूर्ति की सेवा पूजा के लिये कितने रूपये की आवश्यकता थी यह नही बताया गया क्योकि उसके लिये जमीन को लीज पर देकर पैसा प्राप्त करने की आवश्यकता ही नही जबकि पिछले 100 सालो से अधिक समय मंदिर मूर्ति का खर्चा उसकी जमीनो की आय से ही चला आ रहा है, इसलिये दीवार निर्माण की कोई तारीख महीना साल जानबूझकर नही बताया गया है, बल्कि अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 8 ने वादग्रस्त मंदिर की भूमियो को खुर्द बुर्द करने की बदनियती से उक्त भूमि में से 3.6478 बीघा भूमि अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 6 के हक में लीज पर 51 लाख रूपये में देने का अनाधिकृत रूप से गलत व गैर कानूनी ढंग से चुपचाप सौदाकर लिया और काफी बडी रकम प्राप्त कर ली और जमीन की चार दीवारी बनाने की आड में उक्त भूमि को तीन हिस्सो में बांटते हुये उसकी चार दीवारी बना दी जबकि तहसीलदार ने ऐसा विभाजन करते हुये चार दीवारी बनाने का कोई आदेश नही दिया था इसी क्रम में प्रार्थी के नाम जो रेवेन्यू रेकार्ड में चला आ रहा था उसमें एहतमाम दिगम्बर जैन पंचायत सार्वजनिक ट्रस्ट का नाम जोडा ताकि उसके आड में अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 ने जो उसे अपनी जेबी संस्था बना रखी है, उसके जरिये वे इस जमीन को गैर कानूनी रूप से बदनियती पूर्ण से व मंदिर मूर्ति के हितो के विरूद्ध वादग्रस्त भूमियो को खुर्द बुर्द कर सके और अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 ने जो निर्माण कार्य किये उनके विरूद्ध सारभूत चुप्पी सादे रहे। दिगम्बर पंचायत ट्रस्ट तथा अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 को निर्माण कब से शुरू किया इसकी जानकारी कब हुई व किसके जरिये हुई इन सब तथ्यो को जानबूझकर छुपाया जबकि जैन दिगम्बर पंचायत की सभा कार्यालय व इनके पदाधिकारीयो के निवास व व्यापारिक स्थल वादग्रस्त स्थल से मुश्किल से 1–डेढ किलोमीटर की परिधी में है, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने पुलिस व सिविल अथवा रेवेन्यू न्यायालय में तुरन्त कार्यवाही क्यो नही की बल्कि अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 7 वादग्रस्त भूमियो में इतना बडा निर्माण कार्य स्कूल संचालित करने व विवाह स्थल संचालित करने जैसा कार्य कर लेवे व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 के पदाधिकारीयो को मालूम न पडे यह बात बिल्कुल झूंठी ही नही बल्कि हास्यास्पद है। लेकिन अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 की नियत शुरू से ही काश्त व्यवस्था नही करवाने की कार्यवाही भी इनकी बदनियती का ही कारण था ताकि वे इन जमीनो को लीज आदि के नाम पर खुर्द बुर्द कर लोगो को गैर कृषि प्रयोजनार्थ छद्म रूप से देने मात्र से ही था ताकि इस आड में पैसो की बंदर बाट कर सके। डिक्टेटर समाचार पत्र व उसे सम्पादक भंवरलाल शर्मा के विषय में जो बाते कही है वे विवरण रहित व असत्य है। किन्तु प्रार्थी के वाद मित्र श्री के0सी0 सोगानी कम्पनी के सचिव बी0कॉम0एल0एल0बी0 है, क्योकि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 ने जो गलत कार्यवाहीयां की उसकी जानकारी के0सी0सोगानी जी को नही दी ज्योही उन्हें जानकारी हुई तब से उन्होने देवस्थान विभाग में भिन्न कार्यवाही की और यह मुकदमा भी किया जिसकी जानकारी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 को पूर्ण रूप से है, और के0सी0सोगानी को मंदिर मूर्ति के हित में दावा करने का अधिकार है तथा कोई भी व्यक्ति यहां तक की जैन दिगम्बर समाज का नही भी हो तो किसी मंदिर मूर्ति के हित में तथा उसकी सम्पत्तियां की रक्षा सुरक्षा के लिये दावा करने का पूर्ण अधिकारी

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

है। मंदिर मूर्ति पारसनाथ नाबालिग ब्यावर के नाम के आगे जो दिगम्बर जैन पंचायत के पदाधिकारीयो का नाम बतौर व्यवस्थापक जोडे गये है वे स्वतः अनाधिकृत व अवेध है, और एक्ट ऑफ न्यूलिटी है, इसलिये किसी भी स्टेज पर उनको चुनौती दी जा सकती है, और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में उक्त मामला खातेदार व मालिक के अधिकारो से संबंधित है, और ऐसे निर्णय को सुनवाई का क्षैत्राधिकार राजस्व न्यायालय को ही है, और उसके लिये कोई दावे की मियाद नही है। क्योकि मंदिर मूर्ति की जमीन को कोई व्यक्ति खुर्द बुर्द नही कर सकता उसके बावजूद भी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 व 8 के कुछ पदाधिकारीयो ने अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 को उक्त भूमि लीज की आड में एकतरह से गुप्त बेनामी बेचान कर दिया और उन्हें उस जमीन में कारतामिरात करने व उसका व्यवसायिक उपयोग कर पैसा कमाने की पूरी सुविधा देने की पूरी छूट दे दी ताकि वे नाजायज फायदा मंदिर मूर्ति की भूमि से उठाते रहे और अप्रार्थी संख्या 1 व 2 उसका नाजायज फायदा उठाते रहे और जबकि प्रार्थी मंदिर के व्यवस्थापको में से कुछ लोगो ने इस गैर कानूनी कार्य को अन्जाम दे दिया तो यह दावा श्री कैलाशचन्द जी सोगानी ने वाद मित्र बनकर मंदिर हित में किया है जो कार्यवाही विधिवत है। वादमित्र श्री के0सी0सोगानी ने मालियो से वादग्रस्त भूमि को बेचने का कोई सौदा दिनांक 24.11.1979 को 1,40,000/– रूपये में नही करवाया और न ऐसे किसी दिनांक 24.11.1979 के दस्तावेज में उक्त वादमित्र सोगानी जी पक्षकार है, न उसमें गवाह है, इसलिये उनको गुमनाम भागीदार बताने वाली बात बिल्कुल झूंठा व मनघण्डत है तथा मालियो व राठी जी के बीच जो मुकदमा चलना बताया गया है, उसमें सोगानी जी द्वारा पैरवी करने वाली बात भी बिल्कुल झूंठी व बनावटी है, क्योकि मंदिर मूर्ति की जमीन के विषय में मालियो ने जो विष्णुकमार राठी से बेचने का सौदा कर लिया था उसका सौदा भी अवेध व प्रभावशून्य माना इसलिये मालियो के विरूद्ध राठी जी को ब्याज सहित रूपये देने की डिक्री पारीत हुई थी उसके बावजूद भी दिनांक 15.12.2003 को तथाकथित भूमियां प्रीतमसिंह, बालमुकुन्द व गुरूचरणसिंह को 51 लाख रूपये में 29 साल के लिये लीज पर देने का मंदिर मूर्ति की जमीन का सौदा करने का कोई अधिकार नही थ। और न ऐसा निर्णय लेने का अधिकार था। और इसलिये कोई भी रांशि अप्रार्थी संख्या 5 लगायत 7 से नही ली गई और न ऐसी रांशी ले सकती थी और न ऐसी रांशि मंदिर के अकाउण्ट में जमा हुई और न दिगम्बर जैन पंचायत की बहियो में जमा हुई जो स्वतः अप्रार्थीगण संख्या 5 लगायत 8 की अपारदर्शिता को प्रकट करता है, एंव उनकी मिलीभगती को प्रकट करता है, इसलिये भोश तथ्य 51 लाख रूपये वापस नही लोटाने के तथ्य भी गलत व गैर कानूनी है, नही लोटाने के कोई कारण भी नही दर्शाये गये है, जो कथन स्वयं हास्यास्पद है। जवाबुल जवाब को रेकार्ड पर लिया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

प्रकरण में बहस उभयपक्षान सुनी गई जिनके कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम फतेहपुरिया ।। की जमाबन्दी संवत् 2060–63 की छाया प्रति प्रस्तुत की है जिसके खाता संख्या 225 में तथा जमाबन्दी संवत् 2067–70 के खाता संख्या 311 में हाल खसरा नंबर 1102 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2, 1103 रकबा 01–14–00 किस्म चाही–2, 1104 रकबा 00–13–00 किस्म चाही–1, 1106 रकबा 00–04–10 किस्म गै.मु.चाह, 1107 रकबा 07–00–00 किस्म चाही–2 व खसरा नंबर 1107/1146 रकबा 00–16–00 किस्म चाही–1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 11–12–10 मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी सा. नयानगर के नाम

.....लगातार

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

दर्ज है तथा उक्त संवत् 2060–63 की खसरा गिरदावरी में मंदिर मूर्ति श्री पारसनाथ जी सा. नयानगर द्वारा काश्त किया जाना अंकित है। उपशासन सचिव महोदय, देवस्थान, वक्फ एवं सैनिक कल्याण विभाग के पत्र क्रमांक प0 5/32 (देव/2003) जयपुर दिनांक 13.10.2003 में पंजीकृत प्रन्यास श्री दिगम्बर जैन मंदिर पंचायत ब्यावर को जिला अजमेर की कृषि भूमि को ट्रस्ट के विधान में अंकित उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959की धारा 79 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए विक्रय/99 वर्ष लीज की स्वीकृति प्रदान किया जाना अंकित है जिसकी प्रतिलिपि श्री ताराचन्द बड़जात्या, अध्यक्ष को दिया सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड अजमेर दिया जाना अंकित है। उक्त स्वीकृति दिनांक 13.10.2003 को शासन उपसचिव महोदय देवस्थान विभाग ने अपने पत्र क्रमांक प.5 (32) देव/2003 जयपुर दिनांक 12.01.2005 से निरस्त की गई जिसकी प्रतिलिपि भी सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग खण्ड अजमेर द्वारा श्री ताराचंद बड़जात्या अध्यक्ष श्री दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर को दी गई है। उक्त ट्रस्ट ने उक्त भूमियों में से श्री प्रीतमसिंह दुवा को 1.2159 बीघा, श्री बालमुकन्द अरोड़ा को 1.2159 बीघा, श्री गुरू बच्चन सिंह को 1.2159 बीघा को 29 साल की लीज पर दिया जाने का अंकन है। दिनांक 07.12.2007 को तहसीलदार ब्यावर ने अपने पत्रांक राजस्व/07/2455 से खसरा संख्या 1102, 1103, 1104, 1107/1146 कुल कित्ता 4 कुल रकबा 04–08–00 भूमि पर कृषि एवं बगीचे की सुरक्षा व जंगलीजानवरों इत्यादि से बचाव हेतु चारदीवारी निर्माण हेतु अनुमति दिया जाना अंकित है। श्री दिगम्बर जैन पंचायत ब्यावर द्वारा श्री गुरूबचन पंजाबी को किराये पर तीन साल के लिए बगीचा हेतु दिया जाना का किरायानामा की प्रति दिनांक 16.09.2008 प्रस्तुत की है। न्यायालय आयुक्त देवस्थान विभाग राजस्थान उदयपुर केंप जयपुर के यहां अपील संख्या 66/2010 प्रस्तुत निर्णय दिनांक 13.12.2010 को करते हुए सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग अजमेर के प्रकरण संख्या 104/अ/2009 निर्णय दिनांक 14.05.2010 को निरस्त किया गया है।

उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्यों एवं विवेचन के आधार पर यद्यपि कोई दस्तावेजी साक्ष्य से विक्रय सिद्ध नहीं है लेकिन जमीन पर जिस तरह से अतिक्रमण बताया है तथा जिस तरह से इस प्रन्यास संपदा की देखभाल किये जाने का उल्लेख किया गया है वह प्रन्यास प्रबन्धन से अपेक्षित नहीं है। लोक प्रन्यास चूंकि एक सार्वजनिक संगठन है जिसमें पारदर्शिता एवं जवाबदेही प्रन्यास प्रबन्धन का मुख्य दायित्व है। हांलांकि प्रार्थीगण न्यास संम्पत्ति के दुरूपयोग एवं कुप्रबन्धन को साबित नहीं कर पाये हैं, परन्तु विवादग्रस्त भूमियों में वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग लिया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 8 (सी) में यह भी कथन किया है कि उक्त भूमियों को अप्रार्थी प्रीतमसिंह ने अवैध सड़क (रास्ता) निकाल लिया है एवं रास्ते के रूप में भी उपयोग किया जा रहा है दरवाजे, खिड़कियां व बॉलकॉनी निकाल लेने के कथन अंकित किए हैं। यद्यपि प्रार्थी ने उक्त कार्य वर्ष 2010 में करने का कथन किया है किंतु मूल वाद में अप्रार्थी पंचायत की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज में दिनांक 03.12.2004 को कब्जा दे दिया जाना प्रथम दृष्टया प्रमाणित होता है। स्वयं प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के पद संख्या 7 में दिनांक 07.12.2004 को चारदीवारी की अनुमति तहसीलदार ब्यावर द्वारा दिया जाना अंकित किया है एवं इस आशय का दस्तावेज भी प्रस्तुत किया है। उक्त समस्त से प्रथम दृष्टया यह प्रमाणित पाया जाता है कि अप्रार्थी प्रीतमसिंह को संबंधित भूमि रास्ता व हवा, रोशनी आदि हेतु

.....लगातार

उपखण्ड अधि. एवं सहा. कलक्टर ब्यावर

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि.एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

दी गई है। **यहां यह उल्लेखनीय है कि "ईजमेंट ऑफ राईट" के तहत रास्ता रोका जाना उचित नहीं है एवं उक्त रास्ते पर आवागमन हेतु किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं की जावे।** यदि उक्त विवादग्रस्त भूमियों में किसी प्रकार की कोई अविधिक गतिविधि की जाती है तो प्रन्यास अपने विधान अनुसार व विधिक प्रावधानों के तहत कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। उक्त विवेचन से मामला प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है एवं सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 29.09.2014 को यथावत रखते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने से आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थीगण को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से ताफैसला वाद तक पाबंद किया जाता है कि वे ग्राम फतेहपुरिया दोयम की वादग्रस्त आराजियात खसरा नंबर 1102 रकबा 01–05–00 किस्म चाही–2, 1103 रकबा 01–14–00 किस्म चाही–2, 1104 रकबा 00–13–00 किस्म चाही–1, 1106 रकबा 00–04–10 किस्म गै.मु. चाह, 1107 रकबा 07–00–00 किस्म चाही–2 व खसरा नंबर 1107/1146 रकबा 00–16–00 किस्म चाही–1 कुल कित्ता 6 कुल रकबा 11–12–10 में किसी प्रकार की कोई वाणिज्यिक एवं आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग नहीं करेंगे तथा किसी प्रकार का निर्माण आदि नहीं करेंगे तथा अप्रार्थी सं. 6 के आने जाने हेतु रास्ते की भूमि में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

आदेश आज दिनांक 22-10-2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
ब्यावर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर ब्यावर